संख्या–112/नौ–1–सिं0(01 बजट/03)/04

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 03 मार्च फरवरी,/2004

विषयः– वित्तीय वर्ष–2003–04 हेतु आयोजनागत मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0–2004/वि0अनु0–1/2003 दिनांक 30.06.2003, आपके पत्र सं0 295/मु0अ0वि0/बजट/बी–1/सामान्य दिनांक 24.01.2004 एवं पत्र सं0 4194/मु0अ0वि0/बजट अनुभाग/बी–1–काडा/दिनांक 09.12.2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक–1 में वर्णित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रू 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जायें जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका टैण्डर विषयक नियम तथा शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिं0 वि0 उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

5– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

6— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7— कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि उपभोग 31.03.2004 तक कर दिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9— व्यय करते समय भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जायेगा और भारत सरकार से उक्त के विपरीत आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राविधानित करा ली जायेगी तथा आगामी किस्त भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की स्थिति स्पष्ट करने पर ही अवमुक्त की जायेगी।

10— विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकि अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–04 मे अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संलग्नक–1 में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–2998/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक, 28 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

संख्या 412/नौ–1–सिं0 (01 बजट/03)/2004/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तरांचल शासन।
3— श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6— निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8— कोषाधिकारी /जिलाधिकारी देहरादून ।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

शासनादेश सं0 412 /नौ–1–सिं0 (01 बजट/03)/04 दिनांक 03 मार्च फरवरी,04 का संलग्नक।

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	जारी स्वीकृति	प्रस्तावित आवंटन
1	2705–कमान क्षेत्र विकास 00–आयोजनागत 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01–क्षेत्रीय विकास प्रायोजनायें (50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) 24–बृहद निर्माण कार्य	300.00	300.00	–	150.00
	योग	300.00	300.00	–	150.00

(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।